संख्या-35/2016/775/एक-6-2016-15(11)/2014

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2016**

विषय- राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ मुख्यालय भवन के जीर्णोद्धार एवं साज-सज्जा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु रू0 74.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-278/12 भवन-70/2011, दिनांक 03-05-2016 एवं पत्र संख्या 912/12 भवन-70/2011(1), दिनांक 20-07-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के जीर्णोद्धार एवं साज-सज्जा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति परियोजना की कुल लागत रू0 148.52 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 74.26 लाख की वित्तीय स्वीकृति विगत वित्तीय वर्ष में शासनादेश संख्या-153/एक-6-2016-15(11)/2014, दिनांक 04-02-2016 के माध्यम से निर्गत की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में इस परियोजना हेतु रू0 83,00,000.00 (रू0 तिरासी लाख मात्र) का प्राविधान है। इस परियोजना हेतु कुल धनराशि रू0 74.26 लाख स्वीकृत किया जाना अवशेष है।

2- श्री राज्यपाल महोदय राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के जीर्णोद्धार एवं साज-सज्जा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 83.00 लाख में से इस परियोजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 74.26 लाख (रू0 चौहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि को आहरित कर नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रायोजना का कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये।

(2) कार्य/क्रय किये जाने वाले उपकरणों की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता तथा मात्राओं के क्रय के ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(5) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय 12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) कार्य के उपरान्त यदि कोई पुरानी सामग्री उपलब्ध होती है तो उसके नियमानुसार डिस्पोजल से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही राजस्व परिषद, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जाये।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी। अन्य व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृति धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही दिनांक 31-3-2017 तक आहरित कर व्यय की जायेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष की दशा में यथा समय शासन को समर्पित की जाये।

(10) व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान की मद में आउट सोर्सिंग कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय समस्त सुसंगत नियमों/विनियमों/शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(11) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(12) प्रश्नगत योजना हेतु जो भी आइटम क्रय किये जाये, उनमें क्रय सम्बन्धी समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231//2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निर्दिष्टि शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- राजस्व परिषद, लखनऊ उ0प्र0 के अपर आयुक्त (लेखा)/लेखाधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों में विचलन होने की दशा में शासन के वित्त् विभाग एवं राजस्व विभाग को तत्काल सूचित किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-52 के अन्तर्गत " लेखाशीर्षक-आयोजनागत-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800 अन्य व्यय-16-राजस्व परिषद मुख्यालय में विद्युत कार्य-26-मशीनों और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र " मद में डाला जायेगा।

6- उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-17-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-775(1)/एक-6-2016, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा-पीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
6- अपर आयुक्त, (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, लखनऊ ।
8- निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10- नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।